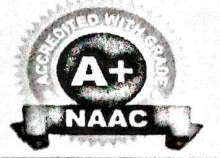




डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)



पत्रांक : सम्ब0/931/2026 दिनांक : 09/02/2026

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त बी0एड0 महाविद्यालय,
डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

महोदय/महोदया,

विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में अस्थायी रूप से बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालयों को सत्र 2026-27 से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त किये जाने हेतु नियमानुसार निर्धारित निरीक्षण मण्डल शुल्क रु० 20,000/- एवं सम्बद्धता शुल्क (जी0एस0टी0 सहित) रु० 59,000/- अनिवार्य रूप से जमा करते हुए, समयान्तर्गत निरीक्षण मण्डल गठन से सम्बन्धित पत्रावली संलग्न करते हुए मांग प्रस्तुत करनी होगी।

जो महाविद्यालय स्थायी सम्बद्धता की मांग नहीं करना चाहते हैं, वे समयान्तर्गत सम्बद्धता शुल्क जमा करते हुए इस आशय का शपथ-पत्र भी संलग्न करेंगे कि आगामी सत्र तक स्थायी सम्बद्धता से सम्बन्धित समस्त मानक पूर्ण कर लिये जायेंगे।

उक्त कार्यवाही हेतु मा० कुलपति जी के आदेश के क्रम में निम्नानुसार समय-सारिणी निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	कार्यवाही	निर्धारित समय-सारिणी
1	निरीक्षण मण्डल गठन हेतु पत्रावली जमा करने की अन्तिम तिथि	25 फरवरी, 2026 तक
2	निरीक्षण मण्डल का गठन	10 अप्रैल, 2026 तक
3	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या प्रस्तुत किया जाना	24 अप्रैल, 2026 तक
4	निरीक्षण मण्डल के सदस्य-सचिव द्वारा 2 प्रति में आख्या को विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जाना	25 अप्रैल, 2026 तक
5	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने की अन्तिम तिथि	06 मई, 2026 तक

विशेष निर्देश:

1. अस्थायी सम्बद्धता की मांग करने वाले महाविद्यालय सम्बद्धता शुल्क रु० 59,000/- दिनांक 25 अप्रैल, 2026 तक अनिवार्य रूप से जमा कर सम्बन्धित प्रपत्रों एवं शपथ पत्र सहित पत्रावली उपलब्ध करायेंगे।
2. शिक्षक एवं प्रबन्ध समिति के विश्वविद्यालय से अनुमोदन पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
3. एन0सी0टी0ई0 द्वारा जारी Recognition Letter एवं Revised Recognition Letter की प्रमाणित छायाप्रति।
4. अनुमोदित शिक्षकों का दिनांक 30.03.2025 से 31.01.2026 तक का वेतन भुगतान, बैंक द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र।

नोट: निर्धारित समय-सारिणी के उपरान्त कोई भी कार्यवाही मान्य नहीं होगी।

उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षक-कुलपति सचिवालय, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त पटल प्रभारी, सम्बद्धता को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निरीक्षण गठन हेतु प्राप्त पत्रावली का परीक्षण कर आख्या सहित मूल पत्रावली के साथ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
3. अधिकृत एजेंसी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाइट एवं महाविद्यालयों की लगिन में अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. गार्ड फाईल।


कुलसचिव